

5

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गण को जरिये समन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 का 2 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए डेकलेशन दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन

किए कि वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गण को जरिये समन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 का 2 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए डेकलेशन दावा पेश किया गया है।
उत्तम नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के एक हिस्सा की भूमि को आधिकांश है।

प्रतिवादी संख्या 2 वादी की कहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी है प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का एक हिस्सा है।
प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का एक हिस्सा है जिस राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराया जाने के लिये वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। डेकलेशन दावा भूमि वादी एवं संख्या 2 की वादी ही चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने एक हिस्सा की भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पत्नी है प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का एक हिस्सा है।
हुई है जिसके कारण पूर्वक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी दावा रामरतन पुत्र सावलायाम के देहान्त होने के बाद विरासत में राजस्व रिकार्ड में दर्ज वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।
में दर्ज थी वादी के दादा रामरतन पुत्र सावलायाम के देहान्त होने पर वाद विरासत से वाद उत्तम भूमि पूर्व में वादी के दादा रामरतन पुत्र सावलायाम के नाम से राजस्व रिकार्ड राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है।

की 3.9050, 291/323 की 0.2530 है व कुल 4.1580 है भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान 9913 कुल 21.5614 है व में से 1/4 हिस्सा एवं खाला संख्या 18/18 के खसरा नं 289/2, 169/3, 731, 278/0, 443, 280/1 की 4, 3126, 281/1 की 2, 845, खसरा नं 283/7, की रही मौजा अक्षरजाना के खाला संख्या 94/101 के खसरा नं 68/0, 164, 72/2, 074 राजस्थान काइलकरी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया सक्षम में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत

निर्णय दिनांक - 18/02/2020

उपस्थित : श्री सनील देहड़ अधिवक्ता वादी

राजस्थान काइलकरी अधिनियम 1955 की धारा 88 प्रतिवादी गण

1. रामरतन पुत्र सावलायाम प्रतिवादी अक्षरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. कमला पुत्री रामरतन जाति जाट साकिन अक्षरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

बनाम

वादी

1. जयपाल पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी अक्षरजाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

अनगण :-

वाद सं : 339 सन 2019

पीठस्थान अधिकांश का नाम : सुश्री श्वेता कोवर (आर०ए०ए०ए०)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपसहायिका (राजस्व) नोहर

10

पुत्र सावतारम के नाम से खसरा नं० 478 को छोड़ कर दत्त शी अर्थात् वाद भूमि पूर्व में भूमि उन्नत विभाग की जमाबन्दी समेत 2029 से 2038 के अन्तर्गत वाद भूमि समेतन

रिफाई में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दत्त हिस्सा, खाला संख्या 18/18 की कुल 4.1580 हेक्टर में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व अन्तर्गत शही मौजा अख्तियारना के खाला संख्या 94/101 की कुल 21.5614 हेक्टर में से 1/4 हिस्सा उभयपक्षों की सहस्य रूनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिफाई के निस्तारण फरमावे।

किया है वादी के साक्ष्य सर्जनों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का प्रोकर राज में निवेदन किया की वादी ने दावालाई/पूर्वक सम्पत्ति का वाद पेश जावे।

के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद लिकी फरमाया 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खतियार काश्तकार आपसी सहमति/राजीनामा के समक्ष में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पृष्ठ 615 एवं आर.आर.जी वॉ 1998 पृष्ठ किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के समक्ष में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों वादी के वाद की प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर डेकबाल पेश अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का एक हिस्सा है जिसे राजस्व रिफाई में दत्त करवा पाने के त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं संख्या 2, की शर्ती हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने एक हिस्सा की भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 वादी की सहस्य है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का एक हिस्सा है।

हुई है जिसके कारण पूर्वक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का प्रतिवादी दादा रामरतन पुत्र सावतारम के देहान्त होने के बाद विरासन से राजस्व रिफाई में दत्त वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दत्त है वादी के भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दत्त हुई।

में दत्त शी वादी के दादा रामरतन पुत्र सावतारम के देहान्त होने पर वाद विरासन से वाद उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा रामरतन पुत्र सावतारम के नाम से राजस्व रिफाई है।

में से 1/4 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिफाई में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 से दत्त 18/18 के खसरा नं० 289/2 की 3.9050, 291/323 की 0.2530 हेक्टर भूमि 845, खसरा नं० 283/7.9913 कुल 21.5614 हेक्टर में से 1/4 हिस्सा एवं खाला संख्या 68/0.164, 72/2.074, 169/3.731, 278/0.443, 280/1 की 4.3126, 281/1 की 2 हुए निवेदन किया की शही मौजा अख्तियारना के खाला संख्या 94/101 के खसरा नं० वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी सहस्य रूनी पत्रावली को दोहराते वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी सहस्य रूनी पत्रावली को दोहराते नहीं करने के कारण निरह रूनी पत्रावली उभयपक्षों की सहस्य रूनी गई।

नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीनाम के द्वारा निरह प्रकरण में प्रतिवादीनाम का डेकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता निस्तारण किया जागा है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल किया गया।

की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सर्जनों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए किया जाकर शामिल किया एवं प्रतिवादी संख्या 3 प्रोकर राज में जबाब पेश किया है व अपने कथनों के समर्थन में डेकबाला दावा पेश किया गया। डेकबाल दावा तस्दीक संख्या 1 के नाम से राजस्व रिफाई में दत्त की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी निवेदन किया की उन्हीं अपने एक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2, जो वादी की सहस्य एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने विरासन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 का बराबर का एक हिस्सा की उसके नाम से दत्त भूमि उसके पिता रामरतन पुत्र सावतारम के देहान्त होने पर

उपरोक्त आधिकायी (राजस्व)
नाहर (दरमनागड)

सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 18/2/2000 को से द्वारा लिखाया जाकर बसने इजलास में

पत्रवाली नम्बर से कम की जाकर बाद तस्वीर तकमील जाका दाखिल दफतर है।

अपना बहन करने। इसी आशय की पर्चा लिखी जासी की जाकर शानिल मिसल की गई

रहन ही तो बाद रहनमुवत राजस्व रिकार्ड में अकन किया जावे अथ बाद उभयपक्ष अपना

प्रधान पत्र के सलन 5000/- के स्टम्प तकमीलन शानिल किया जावे। यदि मूमि बैंक के

कारतकार धाबित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अकन करने हेतु इजलास

प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनों बहिब के खातेदार

0.2530 हैव कुल 4.1580 हैव में से 1/3 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता

मथावत रहेगी एवं खाता संख्या 18/18 के खसरा नं 0 289/2 की 3.9050, 291/323 की

खातेदार कारतकार है एवं खसरा नं 0 278/0.443 हैव मूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनों बहिब के

281/1 की 2.845, खसरा नं 0 283/3 की 7.9913 हैव में से 1/4 हिस्सा मूमि जो

खसरा नं 0 68/0.164, 72/2.074, 169/3.731, 278/0.443, 280/1 की 4.3126,

किया जाकर धाबणा की जाती है कि सोही मौजा असरजाना के खाता संख्या 94/101 के

साक्ष्य सर्जती एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर बाद वादी साबित होने के कारण लिखी

करने एवं परेकार राज का किसी प्रकार का ऐजलास नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के बाद को स्वीकार

के कारण राज्यदकों की सुरक्षा के मध्यमनजर स्टम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

होने के कारण काबिल लिखी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने दकों का त्याग किये जाने

सर्वत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर बरसा होते है के आधार पर बाद वादी साबित

वादी के बाद को प्रतिवादीना के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य

किया जा चुका है।

के सामर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्वीर किया जाकर शानिल मिसल

से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐजलास नहीं है व अपने कथनों

इसलिये बाद मूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के एक हिस्सा की मूमि है जिस उनके नाम

हिस्सा की मूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है

उपस्थित होकर वादी के बाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने एक

की मूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2 स्वयं न्यायालय में

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 जो वादी की बहन है ने अपने एक हिस्सा

1 ता 2 बहिब के एकदार है।

पौते/पौतियों को बराबर का एक हिस्सा होगा। अर्थात बाद मूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या

के अनुसार पूर्वक सम्पति में वादी का एक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में

होने के कारण पूर्वक सम्पति होना साबित है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8,

के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विवरनन से मूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज

सावलायम के देहान्त होने के बाद विवरनन से बाद मूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1

वादी के दादा रामरतन पुत्र सावलायम के नाम से दर्ज है वादी के दादा रामरतन पुत्र

पर्व दिर्घी

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. जयपाल पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी अमरजाना तहसील नोहर जिला हरमनगढ।

वादी

बनाम

- 1 रामप्रताप पुत्र रामरतन जाति जाट निवासी अमरजाना तहसील नोहर जिला हरमनगढ।

2 कमला पुत्री रामप्रताप जाति जाट साकिन अमरजाना तहसील नोहर

3 राजस्थान सरकार जारिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हरमनगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान कारतकट्टी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 339 स्म 2019 दिनांक-18/2/2022

आज यह वाद मुझे खती कोबर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष

अधिवक्ता वादी एवं परकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निपटय हेतु प्रस्तुत होने

पर वाद वादी साक्ष्य सर्जती एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के

कारण वाद वादी दिर्घी किया जाकर धारणा की जाती है कि वादी अमरजाना के

खाता संख्या 94/101 के खसरा नं 68/0.164, 72/2.074, 169/3.731, 278/0.443

, 280/1 की 4.3126, 281/1 की 2.845, खसरा नं 0 283/3 की 7.9913 हेतु में से 1/4

हिस्सा भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनों

बादिल के खातेदार कारतकार है एवं खसरा नं 0 278/0.443 हेतु भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के

नाम खयावत रहेगी एवं खाता संख्या 18/18 के खसरा नं 0 289/2 की 3.9050, 291/323

की 0.2530 हेतु कुल 4.1580 हेतु में से 1/3 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता

प्रतिवादी संख्या 1 से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 दोनों बादिल के खातेदार

कारतकार धारित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु इजाजत

प्राप्तना पत्र के संलग्न 5000/- के स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के

रहन हो तो वाद रहनमूवत राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना

अपना वहन करेगा।

पर्व दिर्घी आज दिनांक 18/2/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी

की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हरमनगढ)